गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act., 2009 No. 25 of 2009)

Web Site – www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260342, fax No. 07752-260148,154

क्रमॉक 518/अका./प्रवेश सूचना/2022 बिलासपुर, दिनॉक 07 NOV 2022

:: कार्यालयीय ज्ञाप ::

स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों, बी.एड., बी.एड.स्पेशल, बी.पी.एड., बी.लिब, पीजीडीसीएल, सीसीसीएल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के विभागों और आवेदकों को निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. ऑफलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से सीयूईटी स्नातकोत्तर (CUET PG) 2022 परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। समय सारणी निम्नानुसार है:–

कार्यक्रम	दिनॉक	संबंधित विभाग में रिपोर्टिंग /पंजीकरण का समय
सामान्य प्रावीण्य, सूची की घोषणा	07–11–2022	
अनारक्षित सीटों के लिए ऑफलाइन काउंसिलिंग का पहला चरण	17–11–2022	सुबह 09.30 से 11.30 बजे तक
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित सीटों और शेष रिक्त अनारक्षित सीटों के लिए ऑफलाइन काउंसिलिंग का दूसरा चरण	23–11–2022	सुबह 09.30 से 11.30 बजे तक
शेष अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्यपिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी सीटों के लिए ऑफलाइन काउंसिलिंग का अंतिम चरण	29–11–2022	सुबह 09.30 से 11.30 बजे तक
पीजी स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए कक्षाओं का प्रारंभ	01–12–2022	सुबह 09.30 बजे

2. विभागाध्यक्ष अपनी प्रवेश समिति के माध्यम से आवेदकों को ऑफलाइन काउंसिलिंग के लिए कट ऑफ अंक के बारे में सूचित करेंगे और उम्मीदवारों को ईमेल भेजेंगे। विभागों द्वारा चरणवार कट ऑफ अंक भी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किए जायेंगे।

3. इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक आवेदक ईमेल प्राप्त होने के बाद या वेबसइट www.ggu.ac.in पर कट ऑफ अंक जारी होने पर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ इस ऑफलाइन काउंसिलिंग में भाग ले सकते हैं:–

i. 10वीं/हाईस्कूल की अंकसूची।

ii. 12वीं/हायर सेकेण्डरी की अंकसूची।

iii. स्नातक/स्नातकोत्तर की अंकसूची।

iv. जाति/दिब्यांग/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि लागू हो

v. सीयूईटी पीजी आवेदन पत्र

vi. सीयूईटी स्नातकोत्तर (CUET PG) स्कोर कार्ड

vii. शुल्क जमा करने के लिए पर्याप्त देय राशि वाले मोबाइल और डेबिट/केडिट कार्ड।

मूल स्थानांतरण /प्रवजन/चरित्र प्रमाण पत्र और अन्य संगत दस्तावेज प्रवेशित उम्मीद्वारों से कक्षाओं के शुरू होने से पहले या उसके दौरान जमा कराए जाएंगे।

4. विभागाध्यक्ष अपनी प्रवेश समिति के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता (जैसे 10वीं, 12वीं और स्नातक/स्नातकोत्तर की अंकसूची की छायाप्रति) और जाति/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यदि उम्मीद्वारों की काउंसिलिंग के समय लागू होते हैं, के समर्थन में दस्तावेज एकत्र करेंगे और इसे मूल दस्तावेज के साथ सत्यापित करेंगे तथा उम्मीद्वार की पात्रता की जांच करेंगे।

5. आफलाइन काउंसिलिंग में उपस्थिति या प्रावीण्य सूची में आने मात्र से आवेदक का किसी विषय में प्रवेश सुनिश्चित नहीं हो जाता, जब तक वह आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्धारित आर्हता पूरी नहीं कर लेता/लेती। यदि संगत दस्तावेज के साथ आवश्यक न्यूनतम अर्हता नहीं रखने वाले किसी उम्मीद्वार को अनजाने में प्रवेश दे दिया जाता है, तो उसका प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के के रद्द कर दिया जाएगा।

6. शुल्क का भुगतान मोबाइल के माध्यम से या स्वाईप मशीन से ऑनलाइन किया जाएगा। विश्वविद्यालय में एक बार जमा किया गया शुल्क कक्षाऐं शुरू होने के बाद किसी भी उम्मीद्वार को वापस नहीं किया जाएगा। हालांकि, विश्वविद्यालय के सुसंगत अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार उम्मीद्वारों को वापसी योग्य शुल्क वापस किया जाएगा।

7. काउंसिलिंग के समय अंकसूची और स्कोर कार्ड की छायाप्रति प्राप्त करने और पात्रता की जॉच के बाद विभाग किसी विशेष पाठ्यकम के लिए उम्मीद्वारों की प्रावीण्य सूची तैयार करेंगे और उम्मीद्वारों को अपरान्ह 2.00 बजे के आसपास ऑफलाइन काउंसिलिंग की जानकारी प्रदान करने के लिए इसे अपने सूचना पटल पर चस्पा करेंगे।

8. सीयूईटी स्नातकोत्तर (CUET PG) 2022 परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीद्वारों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। हालांकि सीयूईटी अंको में किसी भी बराबरी की स्थिति में स्नातक कक्षा के उच्च प्रतिशत को प्रावीण्यता का आधार माना जाएगा। आगे बराबरी के मामले में कक्षा 12वीं और फिर 10वीं कक्षा के उच्च प्रतिशत के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। आगे बराबरी होने की स्थिति में उम्र में बड़े छात्रों को प्रावीण्य सूची में लिया जाएगा।

9. मेरिट सूची के प्रकाशन के बाद चयनित उम्मीद्वार अपना प्रवेश सुरक्षित करने के लिए सेमेस्टर शुल्क जमा कर सकेंगे। विभागों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए क्यूआर कोड के माध्यम से विभागाध्यक्ष सेमेस्टर शुल्क जमा करेंगे। किसी भी तकनीकी समस्या या गलती के मामले में संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुमति से एटीएम स्वाइप मशीन के माध्यम से शुल्क लिया जा सकता है। इन दोनों सुविधाओं के विंफल हो जाने पर एसबीआई कलेक्ट का उपयोग संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुमोदनों के बाद ही शुल्क जमा करने हेतु लिए किया जा सकता है।

10. विभागाध्यक्ष प्रत्येक चरण में प्रवेश के बाद प्रवेशित छात्रों एवं रिक्त सीटों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ggu.ac.in पर संबंधित अधिष्ठाता से अनुमोदन प्राप्त कर प्रकाशित करेंगे। विभाग द्वारा प्रवेशित छात्रों का विवरण समर्थ पोर्टल में भी दर्ज किया जायेगा।

11. सभी सत्यापन और प्रावीण्य सूची की तैयारी विभाग की प्रवेश समिति द्वारा की जाएगी। स्कूलों के अधिष्ठाता प्रवेश प्रकिया का समन्वय करेंगे और काउंसिलिंग के समय आवश्यकतानुसार प्रवेश के लिए आवश्यक अनुमोदन देंगे।

12. उपरोक्त सुसंगत प्रावधान यदि स्नातकोत्तर प्रवेश के संबंध में पहले के कार्यालय ज्ञापनों में उल्लेखित हैं, तो इस कार्यालयीय ज्ञाप के जारी होने के बाद अधिकमित हो जाएंगे।

आदेशानुसार,

कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रतिलिपिः—

1. कुलपति के सचिव को मान.कुलपति के सूचनार्थ।
2. समन्यक, आई.टी. प्रकोष्ठ, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के सूचनार्थ एवं वेब पटल पर जारी किये जाने हेतु।
3. परीक्षा नियंत्रक, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त अधिष्ठातागण/विभागाध्यक्षगण/अधिकारीगण, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
5. मीडिया प्रभारी/जनसंपर्क अधिकारी, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. वित्ताधिकारी गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. कुलानुशासक/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. कार्यालय प्रति ।

सहायक कुलसचिव (अका0)